न्यायालय – पारिवारिक न्यायाधीश (अपर जिला न्यायाधीश) श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

पीठासीन अधिकारी – रविकांत जिंदल, आर.जे.एस

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

पारिवारिक मूल प्रकरण संख्या– 28/2025

सौरभ कुमार जैन पुत्र प्रकाश चंद जैन उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड नं.–11 जैन मोहल्ला, खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर

–प्रार्थी/आवेदक

ब ना म

अर्चना बर्मन पत्नी सौरभ कुमार जैन पुत्री मोहनलाल बर्मन उम्र 41 वर्ष निवासी वार्ड नं. –11 जैन मोहल्ला, खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी लॉ डिपार्ट आर.डी.वी.वी. पचपेड़ी, हाईकोर्ट जबलपुर मध्यप्रदेश

–अप्रार्थिया

याचिका अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना

उपस्थितः–

1– श्री गिरिराज शर्मा, अधिवक्ता– प्रार्थी।

2– अप्रार्थीया अनुपस्थित के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

– नि र्ण य – दिनांक– 31.07.2026

1– प्रार्थी की ओर से यह याचिका विरूद्ध अप्रार्थीया दिनांक 06.12.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का विवाह दिनांक 14.12.2022 को अप्रार्थिया के साथ मैरीज ऑफिसर जबलपुर, मध्यप्रदेश के यहां बिना उपहार(दान–दहेज) संपन्न हुआ था। उसके पश्चात अप्रार्थिया व उसके परिजनों द्वारा पारंपरिक रीति–रिवाज से शादी करने के कथन पर दिनांक 26.01.2023 को पक्षकारान की शादी पारंपरिक रीति–रिवाज संपन्न हुई जिसका संपूर्ण खर्चा आवेदक व उसके परिजनों द्वारा ही वहन किया गया था। इस प्रकार पक्षकारान विधिक रूप से पति–पत्नी है। शादी के पश्चात् अप्रार्थिया 3–4 महीने तक प्रार्थी के घर खण्डेला में रही, लेकिन अप्रार्थिया ने प्रार्थी व उसके माता–पिता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा। अप्रार्थिया प्रार्थी को कम सैलेरी होने, सुंदर नहीं होने तथा स्वयं के लायक नहीं होने की बात करके अपमानित व लांछित करती रहती थी। अप्रार्थिया प्रार्थी से सोने–चांदी के

आभुषणों की मांग करती रहती थी तथा प्रार्थी पर माता–पिता, भाई–भाभी से पृथक होकर वार्तालाप बंद करने का दबाव बनाती रही तथा नहीं मानने पर मकान की बालकनी से कूद कर जान देने की धमकी देती थी। दिनांक 17.12.2023 को अप्रार्थिया अपने भाई गोपी बर्मन के साथ प्रार्थी के घर से जल्दी वापस आने की बात कहकर कपड़े व संपूर्ण स्त्रीधन आभूषण लेकर अपने पीहर जबलपुर चली गई। जनवरी 2024 में प्रार्थी ने अपने पिता का स्वास्थ्य खराब होने पर अप्रार्थिया को जरिए दूरभाष पिता से आकर मिलने की सूचना दी तो अप्रार्थिया स्वयं व उसके परिवार से कोई व्यक्ति प्रार्थी के पिता से मिलने खण्डेला नहीं आया। तत्पश्चात दिनांक 07.02.2024 को प्रार्थी के पिता का देहांत होने पर भी अप्रार्थिया या उसके परिजनों में से कोई भी व्यक्ति मिलने या सांत्वना देने के लिए तथा पारंपरिक रीति–रिवाजों का दायित्व पूरा करने खण्डेला नहीं आया। माह मार्च, 2024 तक अप्रार्थिया अपने ससुराल खण्डेला नहीं आई तो प्रार्थी स्वयं अप्रार्थिया को लेने के लिए जबलपुर मध्यप्रदेश पहुंचा तो अप्रार्थिया व उसके परिजनों ने प्रार्थी के साथ सही आचरण नहीं किया तथा डरा–धमकाकर प्रार्थी से 4–5 रिक्त पेपर व स्टांप पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। प्रार्थी उसके पश्चात दिनांक 06.08.2024 को अपनी माता तथा पड़ौसी विष्णुदत्त व महावीर प्रसाद के साथ अप्रार्थिया को समझाकर वापस लाने हेतु जबलपुर गए तो अप्रार्थिया ने आने से स्पष्ट इनकार कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थिया को दांपत्य जीवन का निर्वाह करने हेतु एक विधिक नोटिस जरिए अधिवक्ता दिनांक 13.09.2024 को प्रेषित करवाया जो अप्रार्थिया को प्राप्त होने के बावजूद उसने प्रार्थी के साथ रहने में कोई ईच्छा जाहिर नहीं की। अप्रार्थिया प्रार्थी को बिना बताए प्रार्थी का परित्याग कर अपने पीहर चली गई तथा प्रार्थी के बार–बार लाने पर भी वापस नहीं आ रही है। अप्रार्थिया बिना किसी युक्तियुक्त आधार पर अपनी गृहस्थी उजाड़ने पर आमादा है। आवेदक ने अपनी गृहस्थी बचाने का हर संभव प्रयास किया है तथा अप्रार्थिया के समक्ष अपने अगाध प्रेम का इजहार करते हुए उसे हर हाल में खुश रखने व उसकी हर जायज जरूरतों की पूर्ति करने के लिए स्वयं को वचनबद्ध करने व आवेदक के साथ चलने के लिए बार–बार प्रयत्न करने के बावजूद अप्रार्थिया ने गृहस्थी बसाने से साफ इनकार कर दिया। इस हेतु प्रार्थी के परिवारजनों, रिश्तेदारों, अनावेदिका के रिश्तेदारों एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी अनावेदिका व उसके रिश्तेदारों को समझाने का काफी प्रयास किया परंतु असफल रहे। अप्रार्थिया ने बिना

किसी युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी का परित्याग कर दिया है और प्रार्थी के साथ बहैसियत पत्नी रहने व गृहस्थी बसाने की इच्छुक नही है। अप्रार्थिया प्रार्थी की विधिवत विवाहिता पत्नी है और अनावेदिका व आवेदक का विवाह कानूनन वैध है। प्रार्थी अप्रार्थिया के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए विधि, धार्मिक एवं नैतिक रूप से अधिकृत है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, अप्रार्थिया को प्रार्थी के साथ रहकर वैवाहिक संबंधों का पालन करने बाबत आदेश दिये जाने तथा वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

2– याचिका के संबंध में अप्रार्थीया के उपस्थित नहीं आने पर, उसके विरूद्ध दिनांक 28.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

3– साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी ने स्वयं को न्यायालय में ए.डब्लु–1 के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मैरीज सर्टिफिकेट प्रदर्श–1 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 1ए, विवाह अनुबंध पत्र प्रदर्श–2 , विवाह पंजीयन खण्डेला प्रदर्श–3 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 3ए, विधिक नोटिस प्रदर्श 4 तथा ऑनलाइन डिलिवरी रिपोर्ट प्रदर्श 5, को प्रदर्शित करवाया है।

4– बहस अंतिम प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी का विवाह दिनांक 14.12.2022 को अप्रार्थिया के साथ मैरीज ऑफिसर जबलपुर, मध्यप्रदेश के यहां बिना उपहार (दान–दहेज) संपन्न हुआ था। उसके पश्चात अप्रार्थिया व उसके परिजनों द्वारा पारंपरिक रीति–रिवाज से शादी करने के कथन पर दिनांक 26.01.2023 को पक्षकारान की शादी पारंपरिक रीति–रिवाज संपन्न हुई जिसका संपूर्ण खर्चा आवेदक व उसके परिजनों द्वारा ही वहन किया गया था। अप्रार्थिया प्रार्थी से सोने–चांदी के आभुषणों की मांग करती रहती थी तथा प्रार्थी पर माता–पिता, भाई–भाभी से पृथक होकर वार्तालाप बंद करने का दबाव बनाती रही तथा नहीं मानने पर मकान की बालकनी से कूद कर जान देने की धमकी देती थी। दिनांक 17.12.2023 को अप्रार्थिया अपने भाई गोपी बर्मन के साथ प्रार्थी के घर से जल्दी वापस आने की बात कहकर कपड़े व संपूर्ण स्त्रीधन आभूषण लेकर अपने पीहर जबलपुर चली गई। अप्रार्थिया ने ससुराल आने के दौरान भी कभी पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं किया। प्रार्थी ने अपनी ओर से अप्रार्थिया के साथ खुशहाल गृहस्थी बसाने का हरसंभव प्रयास किया तथा अप्रार्थिया की हर जायज जरूरतों की पूर्ति की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया है कि अप्रार्थिया ने प्रार्थी

को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दिनांक 17.12.2023 से त्याग रखा है एवं दाम्पत्य सुख से महरूम कर रखा है एवं बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अलग रह रही है तथा अप्रार्थिया अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है। उक्त कथन कर, वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

5— सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6— न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि —

क्या अप्रार्थिया प्रार्थी की विवाहिता पत्नी है, जो बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी से पृथक रह रही है, जिस कारण प्रार्थी वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?

विनिश्चय के कारण

7— इस संदर्भ में प्रार्थी सौरभ कुमार ए.ड. 1 के रुप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ जिसने अपने शपथ पत्र के जरिए याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए, मुख्य रुप से दिनांक 14.12.2022 को प्रार्थी का विवाह अप्रार्थीया के साथ होना व आवेदक को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दिनांक 17.12.2023 से त्याग कर अलग रह कर दाम्पत्य सुख से महरूम कर देना, अप्रार्थिया का अपने पीहर वालों के बहकावे में होने के कथन कर, याचिका स्वीकार कर, अप्रार्थिया को उसके साथ रहने के आदेश दिये जाने तथा वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी ने अपनी याचिका के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में मैरीज सर्टिफिकेट प्रदर्श—1 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 1ए, विवाह अनुबंध पत्र प्रदर्श—2 , विवाह पंजीयन खण्डेला प्रदर्श—3 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 3ए, विधिक नोटिस प्रदर्श 4 तथा ऑनलाइन डिलिवरी रिपोर्ट प्रदर्श 5, को प्रदर्शित करवाया है।

8— प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य को देखा जावे तो मैरीज सर्टिफिकेट प्रदर्श—1 से अप्रार्थिया का प्रार्थी की पत्नी होना प्रमाणित है। प्रार्थी ने अप्रार्थिया द्वारा बिना युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी का दिनांक 17.12.2023 से परित्याग कर पीहर चली जाना और अप्रार्थीया के वापिस अपने ससुराल नहीं आने के कथन किए है। प्रकरण में अप्रार्थिया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होना प्रकट है तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थिया की कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत

साक्ष्य का कोई खण्डन अप्रार्थिया की ओर से नहीं हुआ है। अप्रार्थिया की ओर से साहचर्य से प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त कारण बाबत कोई तथ्य व साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्य व साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है।

9— उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अप्रार्थिया का बिना युक्तियुक्त कारण के प्रार्थी से अलग रहकर, प्रार्थी को दाम्पत्य सुखों से वंचित कर, अप्रार्थिया का प्रार्थी के साथ नहीं रहकर अपने दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन नहीं करना साबित है।

विनिश्चय

10— अतः प्रार्थी की यह याचिका स्वीकार की जाकर, अप्रार्थिया के विरूद्ध एकपक्षीय तौर पर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

11— अतः प्रार्थी सौरभ कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम विरूद्ध अर्चना बर्मन एकपक्षीय तौर पर स्वीकार करते हुए, निर्णय आज दिनांक 31.07.2026 से अप्रार्थिया को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी सौरभ कुमार जैन के साथ रहकर अपने दाम्पत्य सम्बन्धों का निर्वहन करे। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण में पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेंगे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जावे।

12— प्रार्थी को डिक्री की नकल निःशुल्क नियमानुसार दी जावे तथा अप्रार्थिया के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित होने से, उसे डिक्री की एक प्रति जरिये डाक निःशुल्क भेजी जावे।

(रविकान्त जिंदल)
पारिवारिक न्यायाधीश, (अपर जिला न्यायाधीश)
श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

13— निर्णय/आदेश आज दिनांक 31.07.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(रविकान्त जिंदल)
पारिवारिक न्यायाधीश, (अपर जिला न्यायाधीश)

श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.11 10:19:51 IST